

कार्यक्रम का नाम : टी०बी० / एच०आई०भी० से पिड़ित रोगियों एण्ड सहचर के लिए यात्रा
व्यय FMR CODE - (B.22.4-C)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

HIV Positive लोगों में टी०बी० होने का खतरा अधिक होता है। HIV Positive रोगियों को यक्षमा अवरोधी दवाओं के अतिरिक्त अन्य दवाओं (ART & Cotrimorazole tab.) की आवश्यकता होती है। अतः सभी टी०बी० रोगियों के HIV जॉच पूर्व परामर्श एवं HIV जॉच सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है। परन्तु सभी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV जॉच की सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए कुछ रोगियों को निकटतम एकीकृत परामर्श एवं जॉच केन्द्र भेजना पड़ सकता है।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

टी०बी० रोगी एवं एक सहचर (Attendent) को निकटतम एकीकृत परामर्श एवं जॉच केन्द्र में जाने एवं आने हेतु वास्तविक भाड़ा का भुगतान इस मद से की जाएगी। जिला स्तर से अनुमानित राशि, प्रति त्रैमास का, अग्रिम भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा संबंधित स्वास्थ्य संस्थान को दी जा सकती है। जिसका व्यय विवरणी (अलग से) संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों से प्राप्त कर जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा राज्य को भेजना अनिवार्य होगा।

संलग्न:–

1. केन्द्रीय यक्षमा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या—Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक—14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देशिका www.tbcindia.nic.in पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :—

डा० के० के० प्रसाद

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :—

0612. 26363838 9430216133

S. D. Mas

8

○

W.B.D.